निदेशालय पंचायतीराज उत्तराखण्ड

पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड के अधीन निर्मित जनपद स्तरीय पंचायत रिर्सोस सेंटरों को आगामी 3 वर्षो के संचालन हेतु इच्छुक स्वयं सेवा संस्थाओं (एन0जी0ओ0) के माध्यम अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EoI) हेतु आमंत्रण से सम्बंन्धित शर्ते/दिशानिर्देश

- निर्मित/निर्माणाधीन रिसोर्स सेंटर को समिति द्वारा चयनित संस्था/संस्थानों को हस्तगत कराया जायेगा, जिसमे संस्थाऐं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकती है। उक्त कार्यक्रमों के आयोजन हेतु संस्था विभाग को रिर्सोस सेंटर के रखरखाव के उद्देश्य से सांकेतिक/नोमिनल शुल्क देगी। जिसका आंकलन विभागीय समीति द्वारा किया जाएगा जो संस्था को मान्य होगा।
- सम्बन्धित रिसोर्स सेंटर में पंचायतीराज विभाग द्वारा किसी भी प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों के आयोजन हेतु संस्था द्वारा रिसोर्स सेंटर पंचायतीराज विभाग हेतु कोई शुल्क पंचायतीराज विभाग द्वारा देय नही होगा एवं पंचायतीराज द्वारा आयोजन की सूचना संस्था को एक सप्ताह पूर्व दी जाएगी।
- पंचायतीराज विभाग द्वारा जब संस्था को रिसोर्स सेंटर हस्तगत कराया जाएगा तो रिसोर्स सेंटर में उपलब्ध सामग्री की सूची बनायी जायेगी जिस पर संस्था एवं उस जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर होगे। उक्त सूची में वर्णित साजो समान का रखरखाव संस्था द्वारा किया जाएगा तथा अनुबंध पूर्ण होने के उपरान्त सूची में वर्णित साजो समान को संस्था द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को हस्तगत कराया जाएगा।
- यदि किसी साजो समान की क्षति होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति संस्था द्वारा की जाएगी।
- रिसोर्स सेंटर के बिजली के बिल एवं पानी आदि के बिलों का भुगतान संस्था द्वारा किया जाएगा।
- पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत निर्मित जनपद स्तरीय पंचायत रिर्सोस सेंटर के संचालन हेतु स्थानीय एन0जी0ओ0 को वरीयता दी जाएगी।
- प्रत्येक जनपद हेतु पृथक–पृथक से प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेगे।
- इच्छुक एन0जी0ओ0 उक्त कार्यो के संपादन हेतु उनकी अभिरूचि की अभिव्यक्ति दिनॉक–12.03.2019 के अपरान्ह 5:00 बजे तक निदेशालय पंचायतीराज उत्तराखण्ड की ई–मेल director.pr.uk@gmail.com के मायध्म से प्रेषित कर सकते है। उक्त तिथि के उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार नही किये जाएगे।

संस्था द्वारा निम्नलिखित अभिलेख प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करने होगे।

1. संस्था का पंजीकरण
2. पैन नं0
3. जी0एस0टी0 पंजीकरण
4. पंचायतीराज/ग्राम्य विकास आदि विभागों के क्षमता विकास कार्यक्रम संचालित करने/प्रशिक्षण कार्य का अनुभव एवं संस्था को उक्त विभागों से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।
5. न्यायालय में कोई वाद लम्बित न होने का प्रमाण पत्र

Scanned by CamScanner

6. ब्लैक लिस्ट न होने का प्रमाण पत्र।

इच्छुक स्वयं सेवी संस्थान (एन0जी0ओ0) से प्राप्त ई0ओ0आई0 के आधार पर एन0जी0ओ0 को सूचीबद्व किया जाएगा। सूचिबद्व एन0जी0ओ0 में से ही पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड के अधीन निर्मित/निर्माणाधीन पॉच जनपद स्तरीय पंचायत रिर्सोस सेंटर (जनपद चम्पावत, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग एवं बागेश्वर) के संचालन हेतु कार्य आवंटित किया जाएगा।

निदेशक
पंचायतीराज

Scanned by CamScanner